**संख्या-53/2016/2119/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.।।।**

प्रेषक,

**दीपक सिंघल,**

मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

**समस्त जिलाधिकारी,**

उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनॉक 29 जुलाई, 2016

**विषयः प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं एवं 06 माह से 06 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों के पोषण हेतु हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1884/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.।।, दिनांक 17 जून, 2016 एवं पत्र संख्या-1885/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.।।, दिनांक 17 जून, 2016 द्वारा प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम हेतु ग्रमीण क्षेत्रो के आंगनवाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं एवं 06 माह से 06 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों के पोषण हेतु हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश किये गये हैं।

2. उक्त शासनादेशों के अन्तर्गत योजना के संचालन हेतु आंगनबाडी कार्यकत्री तथा संबंधित ग्रामप्रधान के नाम से संयुक्त रूप से सीबीएस शाखा में खाता खोले जाने तथा आंगनबाडी कार्यकत्री के साथ संबधित ग्राम प्रधान को योजना के संचालन का उत्तरदायित्व दिया गया है। उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में सम्बन्धित वार्ड के सभासद को आंगनवाड़ी कार्यकत्री के साथ संयुक्त रूप से खाता खोलने तथा योजना के संचालन के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व दिये जाने एवं जनपद गौतमबुद्ध नगर में आंगनवाड़ी कार्यकत्री के साथ मातृ समिति की अध्यक्षा को उत्तरदायित्व दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त संबंधित सभासद तथा मातृ समिति की अध्यक्षा द्वारा उक्त शासनादेशों में वर्णित ग्रामप्रधान द्वारा निस्पादित किये जाने वाले कार्यो/दायत्वियों का निर्वहन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार योजना के सफल संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

**दीपक सिंघल**

मुख्य सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
4. प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, न्याय, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन ।
8. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
12. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0।
13. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0
14. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
15. निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।
16. निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना, उ0प्र0।
17. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
18. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
19. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
20. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उ0प्र0।
21. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(डिम्पल वर्मा)**
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।